न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 45/15 तारीख रजू :– 08.07.15

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

1. चन्दू लाल पुत्र श्री भौर्या जाति मीना निवासी बरदाला तहसील नादौती, जिला करौली। (मृतक)
   1/1 गजराज पुत्र चन्दूलाल
   1/2 प्रहलाद पुत्र चन्दूलाल
   1/3 साबूती पुत्री चन्दूलाल
   1/4 पलक पुत्री चन्दूलाल
   1/5 चेनी देवी पत्नि चन्दूलाल

..... वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामजीलाल | जाति मीना निवासी बरदाला
2. मुंशी पुत्र रामजी लाल | तहसील नादौती जिला करौली।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली।

..... प्रतिवादीगण

दावा बावत रास्ता दर्ज करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा तहत् धारा 251ए(क) 188 राज0टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 29-11-17

दावा में सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है, कि वादी की भूमि खाता सं0 96 ग्राम बरदाला के खसरा नम्बर 929 रकवा 0.09 हैक्टर, 930 रकवा 0.06 हैक्टर, 931 रकवा 0.09 हैक्टर, 932 रकवा 0.32 हैक्टर, 1000 रकवा 0.51 हैक्टर, 1001 रकवा 0.46 हैक्टर, 1002 रकवा 0.55 हैक्टर, 1201 रकवा 0.23 हैक्टर, 1202 रकवा 0.35 हैक्टर, 1205 रकवा 0.10 हैक्टर, 1472 रकवा 0.34 हैक्टर, 1733 रकवा 3.23 हैक्टर, 1734 रकवा 0.13 हैक्टर, 1737 रकवा 1.15 हैक्टर, 1738 रकवा 0.13 हैक्टर कुल किता 15 कुल रकवा 7.74 हैक्टर ग्राम बरदाला में स्थित है। जिसका वादी काबिज खातेदार पुश्तैनी है।

वादी की भूमि खसरा नम्बर 929 रकवा 0.09 हैक्टर, 930 रकवा 0.06 हैक्टर, 931 रकवा 0.09 हैक्टर, 932 रकवा 0.32 हैक्टर भूमि एक जगह स्थित है। जो प्रतिवादीगण की भूमि के पास है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को भूमि खसरा नम्बर 927 व 928 के लगव ही खसरा नम्बर 227 व 928 तक आम रास्ता आता है। उसके बाद खेतों पर जाने हे वादी को आगे कोई रास्ता नहीं है।

वादी ने तहसीलदार नादौती कों रास्ता खुलवाने हेतु दिनांक 02.12.2014 प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका निस्तारण तहसीलदारजी नादौती द्वारा 02.01.20 क्रमांक सुगम/2015/21 द्वारा खारिज कर दिया कि खातेदारों की सहमति नियमानुसार न्यायालय में वाद दायर करकें ही रास्ता प्राप्त किया जा सकता है।

वादी अपनी खातेदारी में जाने हेतु खसरा नम्बर 928 जो प्रतिवादी सं0 1 व 2 खातेदारी भूमि है, जितनी भूमि रास्ते में कटेगी, उसकी कीमत राज.पंजियन एक तहत धारा 251ए के तहत डी.एल.सी. दर के हिसाब से देने को तैयार है। प्रतिवादीगण डी.एल.सी. दर से रूपये लेना नहीं चाहता है, तो रास्ता के बराबर भूमि

वादी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 930 में से देने को तैयार है। दिनांक 17.06 2015 को प्रतिवादीगण रंजिशवश खसरा नम्बर 728 के उत्तरी भाग वादी की भूमि खसरा नम्बर 930 की डोल मेड का निर्माण करने हेतु पत्थर बजरी डालना चालू क दिया, जिससे वाद कारण पैदा हुआ, जो दावा अन्दर मियाद पेश है।

प्रतिवादी खसरा नम्बर 928 के उत्तरी भाग में वादी के खसरा नम्बर 930 लगवा मकान निर्माण कर लेता है तो वादी के खेतों का आम रास्ता हमेशा के लिए ब हो जावेगा। जिससे वादी की भूमि फसल काश्त करने लायक नहीं रहेगी व वादी सामने भूखे मरने की नौवत आ जावेगी। इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं जाता तब तक प्रतिवादीगण का निर्माण करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे–

(क) प्रतिवादीगण को भूमि खसरा नम्बर 928 से रास्ता वादी की भूमि ख नम्बर 930 तक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नादौती को फरमाया ज जिसकी अदायगी वादी डी.एल.सी. दर से न्यायालय में जरिये बैंक चैक जमा कराने तैयार है या प्रतिवादीगण जितना रास्ता खसरा नम्बर 928 से देता है, उतनी भूमि व की भूमि खसरा नम्बर 930 से हजफ कर प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित फरम जावे, जिसको रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश लैण्ड होल्डर को मौके अनु फरमाये जावें। दावा वादी डिक्री फरमाया जावे, तब तक प्रतिवादी खसरा नम्बर 92 किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करें, इस वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरम जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित
जबाव चाहा गया नोटिस की प्रति वाद तामिल शामिल मिसल की गई।

वकील वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में अवगत कराया कि प्रार्थीगण/वादी
का रास्ता अपने खेतों पर जाने हेतु बंद है। उसकी निकासी भूमि ख0नं0 928 में
वादीगण की भूमि ख0नं0 929 के सहारे निकलता है, तो उसमें प्रतिवादीगण को
आपत्ति नहीं है। उसकी पूर्ति हमारी भूमि ख0नं0 930 जो प्रतिवादीगण की भूमि 928
अपर है। उसमें से प्रतिवादीगण को जमीन के बदले देने को हम तैयार है,
प्रतिवादीगण द्वारा अपने बयान व जिरह में भी स्वीकार किया है तथा भूमिधारी द्वारा
पूर्व में जांच प्रकिया वहत 02.01.2015 के प्रतिवादीगण की भूमि से नियमानु
न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त किया जाना जांच रिपोर्ट बनाई गई जिससे वादी
का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया
व दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सबू
साक्ष्य से स्पष्ट होता है। कि वादीगण को रास्ता दिया जाना उचित है, जिससे जमीन
बदले जमीन भी वादीगण प्रतिवादीगण को देने को तैयार है। जिसमें प्रतिवादीगण को
कोई नुकसान नहीं है। इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बावत् दर्ज करने र
व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत् दिये जाने रास्ता भूमि के ब
भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है कि भूमि ख0नं0 928 में से रकवा
हैक्ट0 भूमि आम रास्ता घोषित किया जाता है, जो ख0नं0 929 के सहारे राजस्व रि
में अमल दरामद हो साथ ही भूमि ख0नं0 930 जो वादीगण की भूमि है। उसमें से
की एवज में 0.03 हैक्ट0 प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश दि

जाते है। इसी मुताविक निर्णय तहसीलदार नादौती को राजस्व रिकार्ड में अमल दर
करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार नादौती को पाल
भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर द
दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-11-17को खुले न्यायालय सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती (करौली)